न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10 / 2022	2022 / 0020	20.01.2022	10.10.2022

उनवान प्रकरण

शिवदयालसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी घोड़ा स्वामी का मौहल्ला ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—**वादी**

बनाम

1. श्रवणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी घोड़ा स्वामी का मौहल्ला ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर(राज0)

——**प्रतिवादीगण**

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित:–

श्री रामावतार सैनी द्वितीय, शंकरलाल सैनी, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री हसंराज सैनी, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:22 IST
Reason: SelfAttested

10/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1980 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1981 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1982 रकबा 0.0800 हैक्टर कुल किता–3 कुल क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टर तन ग्राम मुण्डरू पटवार हल्का मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0) में अवस्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 1702, 1703, 1704 है। जिसका वादी काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड संवत 2012 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 के पिता नारायणसिंह के नाम दर्ज चला आ रहा था तथा वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त एवं आबाद है एवं वादी ने भूमि खसरा नम्बर 1981 रकबा 0.0300 हैक्टर गै.मु. आबादी में पुक्ता मकान बनाकर मय परिवार आबाद व काबिज काश्त हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या–1 आपस में एक ही परिवार खानदान से होकर आपस में सगे भाई है। सबलसिंह अविवाहित ही फौत हो गया था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ने अर्सा कदीम यानि 30 वर्ष पूर्व नारायणसिंह की कृषि भूमियों का मौखिक बाहमी बंटवारा कर लिया था। उक्त मौखिक बाहमी बंटवारा अनुसार वादी के हिस्से में उक्त वर्णित भूमि आई हुई है। प्रतिवादी संख्या–1 का उक्त भूमि से कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। उक्त वर्णित भूमियों की खसरा गिरदावरियां संवत 2012 से 2019 तक में वादी के पिता मृतक नारायणसिंह का नाम आ रहा है परन्तु वर वक्त प्रथम सैटिलमेंट राजस्व कर्मचारियों ने उक्त भूमि को गलत रूप से सिवाय चक भूमि दर्ज कर दी। जिसकी जानकारी वादी एवं वादी के पिता को उसके जीवन काल में नही हुई है। वादी उक्त वर्णित भूमि पर वक्त बुजुर्गान से बदस्तूर काबिज काश्त बइल्म प्रतिवादीगण निर्विवाद रूप से चला आ रहा हैं। इसलिए वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हैं। वादी ने दिनांक 14.05.2018 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:22 IST
Reason: SelfAttested

10/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उक्त भूमि का समस्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की जानकारी हुई तब वादी ने अर्सा एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या–1 ता 2 से उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये तथा न्यायालय से आदेश लाने पर ही राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने बाबत कहा तब उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय में बिनाय ए दावा पैदा होकर प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 1980 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1981 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1982 रकबा 0.0800 हैक्टर कुल किता–3 कुल क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टर तन ग्राम मुण्डरू पटवार हल्का मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0) का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। इसलिए दावा पेश करने बहक की विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 की ओर से श्री हंसराज सैनी एड0 ने वादीगण के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी शिवदयाल सिंह का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश हुआ। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 1480/भू.अ./22 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली संलग्न है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्राम मुण्डरू में भूमि खसरा नम्बर 1980 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1982 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म बारानी 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:21 IST
Reason: SelfAttested

10/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सिवायचक काबिल कास्त लगानी के रूप में दर्ज हैं। खसरा नम्बर 1981 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. आबादी ग्राम पंचायत मुण्डरू के नाम दर्ज हैं। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल उक्त खसरा नम्बर के पुराने खसरा नम्बर 1702, 1703 व 1704 हैं अर्थात नये खसरा नम्बर 1980 रकबा 0.11 का पुराना खसरा नम्बर 1702 रकबा एक बीघा चार बिस्वा, नये खसरा नम्बर 1981 रकबा 0.03 हैक्टर का पुराना खसरा नम्बर 1703 रकबा दो बिस्वा व खसरा नम्बर 1982 रकबा 0.08 हैक्टर का पुराना खसरा नम्बर 1704 रकबा एक बीघा दो बिस्वा मुताबिक मिलान क्षैत्रफल हैं। मुताबिक खतौनी बंदोबस्त ग्राम मुण्डरू संवत 2012 खसरा नम्बर 1702 रकबा एक बीघा चार बिस्वा, 1704 रकबा एक बीघा दो बिस्वा, 1703 रकबा दो बिस्वा मकबुजा पानेदार (कॉलम संख्या 3 नारायणसिंह वगैरह) के नाम से दर्ज हैं। खसरा गिरदावरी ग्राम मुण्डरू सम्वत् 2012 से 2019 में खसरा नम्बर 1701, 1702, 1703 व 1704 नारायणसिंह ब.न. 1212 हिस्सा 1/2 सबलसिंह बशरह ख.न. 1337 हिस्सा 1/2 के खुदकाश्त के रूप में दर्ज हैं। खसरा गिरदावरी संवत् 2020 से 2029 में खसरा नम्बर 1702 रकबा एक बीघा चार बिस्वा व खसरा नम्बर 1704 रकबा एक बीघा दो बिस्वा सिवायचक लगानी के रूप में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1703 रकबा दो बिस्वा ग्राम पंचायत बोर्ड मुण्डरू के नाम दर्ज हैं संवत् 2029 से आगे के रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि इसी रूप में दर्ज है। ग्राम मुण्डरू स्थित खसरा नम्बर 1980, 1981 व 1982 के मौके पर पत्थर पडे हुए हैं और सींव डोल बना हुआ है। मौके पर उपस्थित आस–पड़ौस के काश्तकारो से पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त पत्थर शिवदयाल सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत का होना बताया तथा मौके पर उपस्थित मौत विरान के अपनी जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पुराने समय से ही शिवदयाल पुत्र नारायणसिंह के कब्जे में होना बताया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर कोई स्थगन या किसी [illegible]लय में वाद विचाराधीन नही होना अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है। [illegible] द्वारा वादी के पक्ष में सहमति प्रदान करते हुए इकबालिया जवाब दावा पे[illegible] कर दिये जाने से वादपत्र को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:22 IST
Reason: SelfAttested

10/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, 2042, 2009–2032, 2033 से 2036, 2046 से 2049, 2050 से 2053, 2054 से 2057, 2058 से 2061, 2062 से 2065, 2066 से 2069, भू प्रबन्ध (सैटिलमेंट) विभाग द्वारा जारी जमाबन्दी सम्वत् 2012, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल की नकल, खसरा गिरदावरियॉ सम्वत् 2012 से 2015, 2016 से 2019, 2020 से 2021, 2030 से 2033, 2034 से 2037 एंव तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियों में भूमि खसरा नम्बर 1980 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व 1982 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्थान सरकार सिवायचक काबिल काश्त भूमि व खसरा नम्बर 1981 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै0 मु0 आबादी की खातेदारी ग्राम पंचायत मूण्डरू दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर के पुराने खसरा नम्बर 1702, 1703 व 1704 मकबूजा पानेदार है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरियों में सम्वत् 2012 से 2019 तक में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नारायण सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा वादी के पिता उक्त भूमि पर काबिज होना तथा वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादी का उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर आबाद होना प्रकट होता है। जिससे आलौच्य उक्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट से भी सिद्ध होता है। उक्त भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:22 IST
Reason: SelfAttested

10/x/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादी के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर उक्त भूमियों की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वादी के वाद पत्र को भी स्वीकार किया है। पक्षकारान् वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार आपस में सगे भाई होना तथा पारिवारिक सैटलमेंट काश्त की सुविधा अनुसार वादी के वक्त बुर्जुगान के समय से बदस्तूर निर्विवाद रूप से काबिज काश्त होना प्रकट होता है। प्रतिवादी पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वादपत्र को बरूए इकबालिया जवाब दावा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा अवस्थित तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1980, 1982 कुल किता–2 कुल रक्बा 0.1900 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जा[illegible] जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:22 IST
Reason: SelfAttested

10/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

10/10/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/10/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:22 IST
Reason: SelfAttested